

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-04/उ०नि०/स्था०(रूपा०सु०वृ०उ०यो०)-01/10

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना सं०-03/एम० 2-5 वे०पु०-22/99 4685 वि०(2) दिनांक 25.06.2003, अधिसूचना सं० 03/एम० 2-5 वे०पु० 28/99-1802 दिनांक 23.03.2006, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक-14.07.2010 (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति योजना, 2010) तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं अन्य सुसंगत नियम के आलोक में दिनांक-12.02.2026 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निर्गत कार्यवाही निदेशालय ज्ञापांक-566 दिनांक-14.02.2026 के अनुशंसित प्रावधानों के तहत उद्योग निदेशालय के मुख्यालय स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत 01 उच्चवर्गीय लिपिक एवं 03 कार्यालय परिचारी को प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के प्रभावी होने की तिथि-09.08.1999/01.01.2009 अथवा 10 वर्ष/20 वर्ष/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से देय एम०ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति उनके नाम के सामने अंकित तिथि एवं वेतनमान/वेतन स्तर में दी जाती है:-

| क्र० सं० | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | वेतन स्तर | प्रथम ए०सी०पी० | द्वितीय एम०ए०सी०पी० | तृतीय एम०ए०सी०पी० | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री राजीव कुमार चौधरी, उच्चवर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय | Level-2 | - | दिनांक 13.02.24 से द्वितीय MACP Level-03 में देय। | - | - |
| 2. | श्री दीपक कुमार, कार्यालय परिचारी, उद्योग निदेशालय | Level-1 | दिनांक 25.07.24 से प्रथम MACP Level-02 में देय। | - | - | - |
| 3. | मो० शमशाद खॉं, कार्यालय परिचारी, उद्योग निदेशालय | Level-1 | दिनांक 14.11.23 से प्रथम MACP Level-02 में देय। | - | - | - |
| 4. | श्री रामबाबू राम, कार्यालय परिचारी, उद्योग निदेशालय | Level-3 | - | - | दिनांक 08.10.24 से तृतीय MACP Level-04 में देय। | - |

2. किसी भी कर्मों के सम्बन्ध में उल्लेखित आँकड़ों में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मों को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. सभी कर्मियों के मामले में मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (1) के अधीन वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-04/उ०नि०/स्था०(रूपा०सु०वृ०उ०यो०)-01/10...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-04/उ०नि०/स्था०(रूपा०सु०वृ०उ०यो०)-01/10...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-04/उ०नि०/स्था०(रूपा०सु०वृ०उ०यो०)-01/10.....1733 /पटना, दिनांक 29-05-26

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

Alsh